अपर जनपद एवं सत्र न्यायालय/विशेष न्यायालय (उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986), कक्ष सं0–4, अलीगढ़

सेशन केस (संदर्भ वाद) संख्या–3034/2024
उत्तर प्रदेश राज्य बनाम अक्की
तथा
दांडिक प्रकीर्ण वाद संख्या–82/2026
अक्की उर्फ आकिब बनाम उ0 प्र0 राज्य

उपरोक्त दोनों पत्रावलियां न्यायालय में पेश हुईं। उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित आये।

उपरोक्त पत्रावलियों के अवलोकन से स्पष्ट है कि दोनों मामले एक ही तथ्य से सम्बन्धित होने के बावजूद भी पृथक–पृथक संचालित हो रही है। इसी प्रकार उपरोक्त दोनों मामलों में अवधारण बिन्दु की विरचना हुए बिना पत्रावलियां साक्ष्य में नियत हो रही हैं।

उपरोक्त दोनों मामले एक ही तथ्य से संबंधित होने के कारण एक साथ संचालित होने के आधार पर उन्हें एकजाई रूप में संचालित किये जाने का आदेश दिया जाता है। जिसमें से **सेशन केस (संदर्भ वाद) संख्या–3034/2024 उत्तर प्रदेश राज्य बनाम अक्की** की पत्रावली लीडिंग पत्रावली के रूप में संचालित किये जाने का आदेश दिया जाता है।

मामले के आवेदक अक्की उर्फ आकिब द्वारा प्रस्तुत आवेदन व विपक्षी उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रस्तुत आपत्ति के आधार पर पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि मामले के सम्यक निस्तारण के प्रयोजन से निम्नलिखित **अवधारण बिन्दु** विरचित किया जाना न्यायोचित पाया जाता है–

1. क्या आवेदक अक्की उर्फ आकिल द्वारा मकान बही संख्या/जिल्द संख्या–10403 क्षेत्रफल 114.76 वर्गमीटर धनराशि मु0 26,00,000/–रूपये में स्वयं के नाम से गिरोह के रूप में मु0अ0सं0–66/2021 अन्तर्गत धारा–2/3 गैंगस्टर एक्ट, थाना–कोतवाली, अलीगढ़ के संचालित गैंग लीडर के रूप में आपराधिक गतिविधियों से अर्जित किया गया था अथवा उसे विधिक श्रोतों से प्राप्त आय से क्रय किया था ?

2. क्या वाद संख्या–7482/2023 कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या–D202318020007482 सरकार बनाम अक्की उर्फ आकिब अन्तर्गत धारा–14 उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 तथा पश्चातवर्ती स्तर का, वाद संख्या–8276/2023 कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या–D202318020008276 अक्की उर्फ आकिब बनाम राज्य अन्तर्गत धारा–15 उपरोक्त अधिनियम, 1986 में जिला मजिस्ट्रेट, अलीगढ़ द्वारा पारित आदेश क्रमशः दिनांकित 30.09.2023 व 21.07.2024 विधि अनुसार पारित किये गये हैं ?

3. अन्य अनुतोष ?

उपरोक्त अतिरिक्त अवधारण बिन्दु के अलावा अन्य कोई अवधारण बिन्दु न तो बनता हुआ प्रतीत होता है और न, ही पक्षकारों द्वारा किसी अन्य अवधारण बिन्दु के सम्बन्ध में कोई तथ्य प्रकट किया गया।

अतः पत्रावली वास्ते साक्ष्य दिनांक **07.08.2026** को पेश हो।

आदेश की प्रतिलिपि सम्बन्धित पत्रावली पर संलग्न हो।

दिनांकः 29.07.2026

(संजय कुमार यादव–प्रथम)
अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश (गैगस्टर एक्ट),
कक्ष संख्या–04, अलीगढ

Digitally signed by SANJAY KUMAR YADAV
Date: 2026.07.29 17:27:06 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court